न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0 156 / 2021

–:आदेश:–

04/11/22

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक– 487, दिनांक– 17.06.2022 से जॉच प्रतिवेदन की मांग अंचल अधिकारी, पुटकी से की गयी। अंचल अधिकारी, पुटकी के द्वारा अपने पत्रांक– 350, दिनांक – 25.07.2022 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदिका 1. शकुन्तला देवी उर्फ टुनटुनिया देवी, पति– स्व0 शंकर महतो, साकिम– परसिया, थाना– पुटकी, जिला– धनबाद, 2. मंगली देवी, पति– स्व0 सुभाष चन्द्र महतो, साकिम– मोहनपुर, थाना– बलियापुर, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– परसिया, मौजा नं0–84, पुराना खाता सं0– 22, पुराना प्लॉट नं0– 344,नया खाता नं0– 47, नया प्लॉट नं0– 488, रकवा– 24 डिसमील भूमि क्रेता 1. नारायण कुमार महतो, 2. लक्ष्मण कुमार महतो, दोना पिता– नरेश चन्द्र महतो, साकिम– बागड़ा, थाना– महुदा, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के कुरमी(महतो) है तथा विक्रेता थाना– पुटकी एवं बलियापुर तथा क्रेता थाना– महुदा, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 7.57 एकड़ भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति अंचल अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 14:40:06 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner